

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/
प्रार्थीगण

वनाम

2628

दिनांक - 16-10-19

अप्रार्थीगण


1 देसलाराम 2 देदाराम
पिसरान जवाराराम जाति
मेगवाल निवासी हापों की ढाणी
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 चंदनसिंह 2 जवरसिंह 3 नारायणसिंह पिसरान
मंगलसिंह जाति राजपूत 4 खुशालसिंह 5 धर्मसिंह
पिसरान पूनमसिंह जाति पुरोहित 6 नरपतसिंह 7
सवाईसिंह पिसरान सगतसिंह जाति राजपूत 8
डूंगरसिंह 9 टीकमाराम पिसरान लांगाराम 10
चनणाराम 11 मालाराम पिसरान बलुराम जाति मेगवाल
निवासी पुरोहितों की बस्ती, मूढों की ढाणी तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 340/2019 दिनांक- 04.10.19

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 541/121 रकबा 18.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2019/ 2628-2633
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 16-10-19

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. देसलाराम पुत्र जवाराराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी हापों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी चंदनसिंह पिसरान मंगलसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी पुरोहितों की बस्ती, मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर